



मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: 946

दिनांक: 18.3.2013

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भरतपुर, चुरु, जयपुर द्वितीय, करौली, नागौर,
पाली, सीकर, सिरौही, राजसमन्द

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय
भरतपुर, चुरु, धौलपुर, बनीपार्क जयपुर, सेठी कॉलोनी जयपुर,
हिण्डौन करौली, लाडनू, डिडवाना नागौर, पाली, सीकर, सिरौही, हिरनमगरी उदयपुर

विषय:- सोनोग्राफी मशीनों को स्थानान्तरित करने के क्रम में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणानुसार 07 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना प्रारम्भ होने जा रही है। जिसमें श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के कक्ष में दिनांक 16.3.2013 को आयोजित मीटिंग में दिये गए निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के द्वितीय चरण के चिकित्सा संस्थानों में अनुपयोगी/अतिरिक्त रखी सोनोग्राफी मशीन अग्रिम व्यवस्था होने तक अस्थाई रूप से योजना के प्रथम चरण के चिकित्सा संस्थानों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए दिनांक 20.03.2013 तक तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार स्थानान्तरित करने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान जहां पर मशीन ट्रांसफर की जानी है	चिकित्सा संस्थान जहां से मशीन ट्रांसफर की जानी है
1	जिला चिकित्सालय भरतपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीग, भरतपुर
2	जिला चिकित्सालय सुजानगढ, चुरु	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदार शहर, चुरु
3	जिला चिकित्सालय धौलपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कांमा भरतपुर
4	जिला चिकित्सालय बनीपार्क, जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभर, जयपुर
5	जिला चिकित्सालय सेठी कॉलोनी, जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमू, जयपुर
6	जिला चिकित्सालय हिण्डौन, करौली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडाभीम, करौली
7	जिला चिकित्सालय लाडनू, नागौर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराणा, नागौर
8	जिला चिकित्सालय डिडवाना, नागौर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचामण सिटी, नागौर
9	जिला चिकित्सालय सोजत, पाली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतारन, पाली
10	जिला चिकित्सालय सीकर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नीम का थाना, सीकर
11	जिला चिकित्सालय सिरौही	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबू रोड, सिरौही
12	जिला चिकित्सालय हिरणमगरी, उदयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेट राजसमन्द

शासन सचिव एवं मिशन निदेशक
(एनआरएचएम),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
दिनांक:

क्रमांक:

1. निजी सचिव, मा10 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
4. कार्यालय पत्रावली।

5. प्रतारी सचिव को भेजना जोर देते हैं कि
उपरोक्त चिकित्सालय के चिकित्सालय पर 3 जल्दो 3/3/13

निदेशक (जन स्वा10)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर